उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- 13 /2021/597/71-4-2021-एस-21/2016
लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2021

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-35/2020/1395/71-4-2020-एस-21/2016 दिनांक 14/12/2020 द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष रू0 9,73,12,000 (रूपया नौ करोड़ तिहत्तर लाख बारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त् किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 14/12/2020 के प्रस्तर-5 में त्रुटिवश ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-08-रूरल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल सांइसेज, सैफई, इटावा-26-मशीन और साज-सज्जा /उपकरण एवं संयत्र अंकित हो गया है, ।

2- अत: शासनादेश संख्या-35/2020/1395/71-4-2020-एस-21/2016 दिनांक 14/12/2020 के प्रस्तर-5 को ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-05-रूरल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल सांइसेज, सैफई, इटावा-26-मशीन और साज-सज्जा /उपकरण एवं सयंत्र" पढ़ा एवं समझा जाय।

3- प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 14/12/2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव

संख्या- 13 /2021/597/(1) 71-4-2021-एस-21/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय**,** सैफई**,** इटावा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in